उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ नैनीताल

उपस्थितः माननीय कैप्टन आलोक शेखर तिवारी

.............सदस्य (प्रशासनिक)

याचिका संख्या 16 / एन0बी0 / एस0बी0 / 2025

तरन्नुम सईद, उ0नि0 ना0पु0, आयु 37 वर्ष, पत्नि श्री माहम्मद मंसूर, निवासी ग्राम बच्चीपुर धमोला, पो0 कालाढूंगी, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

...................याची

बनाम्

1. **उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उत्तराखंड शासन सचिवालय, देहरादून।**
2. **पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।**
3. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।**

.... विपक्षीगण

उपस्थिति : श्री नदीमुद्दीन, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांक : 29 सितम्बर, 2025

प्रस्तुत वाद में याची द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

"1. आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 06.05.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 05.04.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घोषित कर विपक्षीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें,

2. याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें,

3. अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे,

4. याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।"

2. संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची 2015 से पुलिस विभाग में पुलिस सब–इंस्पैक्टर के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवेज, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के अधीनस्थ जी.आर.पी. थाना काठगोदाम में तैनात है। वह लोक सेवक है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2015 से 9 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है।

उसे लगातार आलोच्य आदश क वर्ष सहित पिछले वर्षों में अति उत्तम/उत्कृष्ट (out standing) वार्षिक पविष्टि दी गयी है। उसने सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है। वर्ष 2021 में जब याची उप–निरीक्षक थाना सल्ट पर नियुक्त थी, तो थाना सल्ट पर पंजीकृत मु0अ0स0 –09/2021 धारा 279/337/304 (ए) भा0द0वि0 बनाम अज्ञात की विवेचना अपीलार्थी महिला उ0नि0 के सुपुर्द की गयी थी। याची द्वारा उसे सौंपी गयी अन्य विवेचनाओं व अन्य ड्यूटी कार्यों के साथ उक्त विवेचना में अपनी पूर्ण कर्मठता, ईमानदारी तथा लगन से कार्य किया। याची द्वारा उसे ज्ञात नियम प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये तथा बयानों में तत्समय चालक सुरेन्द्र सिंह तथा वीरेन्द्र सिंह दो व्यक्तियों के नाम आने के चलते याची द्वारा प्रकाश में लाये गये अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह की घटना के दिन की सीडीआर लाकेशन पाप्त करने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महादय को प्रार्थना–पत्र प्रषित किया गया था जो याची विवचक को दौराने विवचना उपलब्ध नहीं हो पायी थी एवं पकरण की गहन विवचना हतु माके पर माजूद लागों द्वारा बनायी गयी वीडियो प्राप्त कर वीडियो में दिखाई पड़ रहे व्यक्तियों के बयान लेना शेष था। लेकिन इसी मध्य दिनांक 04 सितम्बर, 2021 को उक्त विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार पंत को श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक रानीखत के आदश से हस्तातंरित कर दी गयी।

इसके उपरान्त उनके द्वारा विवचेना पूर्ण करके फाईनल रिपोर्ट श्रीमान् न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। विपक्षी स0 03 द्वारा उक्त प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही में लापरवाही की जांच श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक, रानीखेत को सौंपी गयी। जिन्होनें अपनी प्रारम्भिक जाचं आख्या सीओ–आरकेटी–प्रा0 जांच –07/2021 दिनाकं 21.12.2022 में बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा याची के पक्ष को विचार में लिये याची को विवचेना को जानबूझ कर भटकाने तथा वाहन स्वामी को बीमा का लाभ पहुॅचाने के उददश्य से विवचेना कर वाहन चालक वीरेन्द्र सिहं को प्रकाश में लाये जाने के दोषी हान का निष्कर्ष दे दिया। इस जांच आख्या से पूर्व ही अगस्त 2022 में अपीलार्थी का स्थानांतरण जी.आर.पी. में पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी. हरिद्वार के अधीनस्थ हो गया तथा अपीलार्थी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अल्मोड़ा के अधीनस्थ नहीं रह गयी। इस जॉच आख्या के सलग्नकों दस्तावेजो साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना 73 पृष्ठों में से जॉच आख्या के केवल 13 पृष्ठों की फाटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक, रानीखत की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षो के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, तथा अनुशासनहीनता का परिचायक कार्य करने का आराप लगाते हुये विपक्षी स0 03 ने कारण बताओं नोटिस संख्या द–09/2023 दिनाक 11.01.2023 दिया जिसका अपीलार्थी द्वारा उत्तर दते हुये अपना

पक्ष पस्तुत किया गया तथा इसमें उस पर लगाये गये आरापों के गलत व निराधार हाने को स्पष्ट करते हुये नोटिस निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0 03 ने याची के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2023 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख से दण्डित करने का आदेश द–09/2023 दिनाकं 06.05.2023 पारित कर दिया। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0–02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। विपक्षी सं0 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर अवैध रूप से याची द्वारा की गयी अपील को अपील आदेश पत्रांक सीओके–अपील–23/2023 दिनांकित 05 अप्रैल 2024 से निरस्त कर दिया गया। उक्त अपील आदेश याचिकाकर्ता को 15.05.2024 को प्राप्त कराया गया। वर्ष 2021 में जब याची म0उ0नि0 थाना सल्ट में नियुक्त थी थाना सल्ट में दिनाकं 11–06–2021 को वादी की तहरीर पर पंजीकृत एफआईआर नं0–09/2021 धारा 279/337/338/304ए आईपीसी बनाम अज्ञात की विवचेना हस्व आदेश प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय के अपीलार्थी उ0नि0 के सुपुर्द की गयी, विवचना ग्रहण कर वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नाटिस तामील कराया गया जिसके जवाब में वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि घटना के दिन मरे ा वाहन संख्या यूके 01टीए9133 को चालक वीरेन्द्र सिहं पुत्र भगत सिहं निवासी ग्राम रणथमल

पास्ट देवोखाल, थाना सल्ट चला रहा था तथा वाहन स्वामी द्वारा अपने बयानों में भी वाहन को वीरेन्द्र द्वारा चलाना बताया गया, जिस कारण अपीलार्थी उ0नि0 द्वारा विवचना में वाहन स्वामी द्वारा 133 के नोटिस के जवाब व अपने बयानों में बताये गये अभियुक्त वीरेन्द्र सिहं को प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपराक्त में बयान गवाहान बयान वादी बयान चाटिल द्वारा भी अपने बयानों में वाहन चालक वीरेन्द्रसिहं द्वारा घटना के समय वाहन चलाना बताया गया है इसमें धारा 338 का अपराध भी हाना प्रकाश में आने पर अभियाग में धारा 338 की वृद्धि की गयी। इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा घटना के दिन की जीडी का अवलाकन किया गया तो बचाव कार्य करने गये थानाध्यक्ष महादय द्वारा अपनी आमद में दर्ज किया गया कि मौके पर पूछताछ की गयी तो वाहन में 05 लागे सवार थे व मृतक सुरेन्द्र सिहं वाहन चला रहा था जिस सम्बन्ध में याची उ0नि0 द्वारा माके पर गये थानाध्यक्ष उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार पंत के भी बयान अंकित किये गय जिसमें थानाध्यक्ष महादय द्वारा अपने बयानां में बताया गया कि घटनास्थल पर माजूद लागां द्वारा बताया गया था कि मृतक सुरेन्द सिहं गाडी चला रहा था। उक्त विवेचना में विरोधाभासी तथ्य प्रकाश में आने लगे तथा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उक्त सम्बन्ध में निर्देश दिये गये, जिसके अनुक्रम में वाहन स्वामी तथा वाहन दुघर्टना में घायल चश्मदीद व्यक्तियों द्वारा बताये अभियकुत वीरेन्द्र सिहं की घटना के दिन

की सीडीआर लोकेशन प्राप्त करने हेतु श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पार्थना पत्र पषित किया गया था, जो याची विवचक को दाराने विवेचना उपलब्ध नहीं हो पायी थी एवं पकरण की गहन विवचेना हेतु माके पर माजद लागां द्वारा बनायी गयी वोडियो पाप्त कर वोडियो में दिखाइ पड़ रहे व्यक्तियों के बयान लेना शेष था। लेकिन इसी मध्य दिनांक 04 सितम्बर 2021 को तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार पंत को श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रानीखत के आदश से हस्तांतरित कर दी गयी। श्री पंत का स्थानान्तरण हाने पर उक्त विवचना दिनांक 23.09.2021 को थानाध्यक्ष सुशील कुमार के सुपुर्द हुई। उनका स्थानान्तरण हाने पर दिनांक 11.12.2021 को उक्त विवचेना तत्कालीन थानाध्यक्ष गोविन्द सिंह महता के सुपुर्द की गयी। उनके द्वारा वाहन चालक सुरन्द्र सिहं का मानते हुये, उसकी मृत्यु होने के आधार पर अभियेाग चलाना संभव न हाने के कारण विवचना दिनांक 28.02.2022 को अंतिम रिपाट संख्या 02/2022 समाप्त की गयी। वाहन स्वामी तथा दुर्घटना के समय वाहन में सवार व्यक्तियों के बयानो से प्रकाश में आये वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर बिना गहन जांच के मृतक सुरेन्द्र सिहं को चालक नहीं माना जा सकता था क्योंकि इससे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304ए के अपराध करने का अभियुक्त सजा से बचने की भी संभावनायें थी। इसीलिये याची ने वीरेन्द्र सिंह की मोबाइल

सीडीआर लोकेशन प्राप्त करने हेतु विपक्षी सं0 03 को आवेदन किया था तथा मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बनायी गयी वीडियो प्राप्त कर वीडियो में दिखाई पड़ रहे व्यक्तियों के बयान लिये जाने थे। लकिन इसी मध्य दिनांक 04 सितम्बर 2021 को तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री धीरन्द कुमार पंत को श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक रानीखत के आदश से हस्तांतरित कर दी गयी। याची को ज्ञात साक्ष्यों संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र प्राइवेट प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों पर दुर्घटना के बाद अन्य लोगो से जानकारी प्राप्त करने वाले कर्मियों के बयानों को बिना किसी आधार के वरीयता नहीं दी जा सकती थी। इसीलिये याची द्वारा गहन जांच हेतु सी.डी.आर. हेतु निवेदन किया गया था तथा दुर्घटना के बाद पहुॅचे लोगों द्वारा बनाये गये वीडियो संकलित करके उसमें दिखाई द रहे दुर्घटना के समय मौजूद या दुर्घटना के तुरन्त बाद पहुॅचे लोगों का पता लगाकर उनके बयान लिये जाने का प्रयास किया जा रहा था। उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बीमा सम्बंधी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया था जिससे वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह न होने से किसी व्यक्ति को बीमा लाभ हो इसलिये किसी व्यक्ति को बीमा लाभ पहुॅचाने का प्रश्न ही नहीं है। उक्त जांच आख्या में उल्लिखित याची, वाहन स्वामी शमशेर सिंह रावत, ललित प्रसाद के बयानों व उसके पक्ष के प्रमाणों को गलत मानने के आधार व कारण नहीं दिये गये है। उल्लखेनीय है कि उक्त

प्रत्यक्षदर्शी तथा वाहन देने वाले स्वामी द्वारा प्रारम्भिक जांच के दौरान बयान में भी याची को चालक का नाम वीरेन्द्र सिंह बताना स्वीकार किया है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या मे इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि दुर्घटना बचाव के लिये माके पर गयी टीम का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरन्द कुमार पंत के उपरान्त उक्त विवचना करने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष सुशील कुमार के बयान से भी स्पष्ट है कि उन्हें भी पूर्ण विश्वास नहीं था कि संबधित वाहन का चालक मृतक सुरेन्द्रसिहं ही था। यह तथ्य उनके बयानों में ''दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक प्रथम दृष्टिता मृतक सुरेन्द्र सिहं होना प्रकाश में आया'' के कथन से स्पष्ट प्रमाणित है। यदि अपीलार्थी के बाद उक्त मुकदमें की विवचेना करने वाले उनके या उनसे पूर्व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पंत को सुरेन्द्र सिंह के चालक हाने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य मिलता तो वह अपने बयान में ''प्रथम दृष्टिता'' शब्द प्रयाग नहीं करते। जाचं अधिकारी ने अपनी जाचं आख्या मे इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि याची को ज्ञात साक्ष्यों संबंधी कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र प्राइवेट प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के बयानों पर दुर्घटना के बाद अन्य लागों से जानकारी प्राप्त करने वाले कर्मियों के बयानों को बिना किसी आधार के वरीयता नहीं दी जा सकती थी। इसीलिये याची द्वारा गहन जांच हेतु सी. डी.आर. हत, निवेदन किया गया था तथा दुर्घटना के बाद पहुंचे लोगों

द्वारा बनाय गये वीडियो संकलित करके उसमें दिखाई दे रहे दुर्घटना के समय मौज्द या दुर्घटना के तुरन्त बाद पहुॅचे लागा का पता लगाकर उनके बयान लिये जाने का प्रयास किया जा रहा था। जाचं अधिकारी ने अपनी जाचं आख्या मे इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि उक्त अभियागे में विवेचना के दौरान बीमा सम्बन्धी ऐसा कोई तथ्य पकाश में नहीं आया था जिससे वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह न होने से किसी व्यक्ति को बीमा लाभ होगा। इसोलिये किसी व्यक्ति को बीमा लाभ पहंुचाने का प्रश्न ही नहीं है। दण्डादेश पारित करने से पूर्व याची को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। उसे कारण बताओ नोटिस के साथ उसके सभी संलग्नकों जिसमें दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बयानों की प्रतियां शामिल हैं नहीं दी हैं। इसके अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर सहानभुूतिपर्वूक तथा निष्पक्ष व विधिसम्मत् रूप से विचार नहीं किया गया है। आदेश में लिखित किया गया है कि ''याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है, जो सन्ताषेजनक नहों पाया गया।'' लेकिन इसका कोई विधिसम्मत् व तर्क संगत कारण नहीं दिया गया है। याची को जाचं आख्या की प्रति उसके सभी संलग्नकों जिसमें दस्तावजी साक्ष्यों तथा बयानों की प्रतियां शामिल हैं नाटिस के साथ नहीं उपलब्ध करायी गयी है, कवल इसके कुल 73 पृष्ठों में से कवल 13 पृष्ठों की फाटा प्रति ही उपलब्ध करायी है, इसलिये वह समुचित उत्तर दने की स्थिति में ही नहीं

थो। उल्लखनीय है कि प्रारम्भिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर काई दण्डादश पारित नहीं किया जा सकता है। अपील आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी सं0 02 ने याची की अपील में दिये गये आधारों पर सहानभुतिपर्वूक तथा निष्पक्ष व विधिसम्मत रूप से विचार नहीं किया गया है। आलोच्य दण्डादेश को सही मानने का इससे सम्बद्ध कोई विधिसम्मत आधार व कारण नहीं दिया गया है। आलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की पकिया के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिपक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 86 (1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 87 (1) के अन्तर्गत इस विषय से सम्बन्धी काइ नियम या विनियम वतमान तक लागू नहीं किया गयाहै। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित हाने की काई सूचना नहीं है इसलिये भी उ0प0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के

प्रावधानों के अन्तर्गत यह उत्तराखण्ड में लागू नहीं है। इसलिये उक्त विभागीय कार्यवाही अवध तथा नियम विरूद्ध है तथा कवल इस आधार पर ही उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 23 के अन्तगत याची को दण्ड दने के लिये विपक्षी सं0–03 सक्षम प्राधिकारी नहीं ह। इसलिये भी उक्त दण्डादश अधिकारिता से बाहर है तथा निरस्त हाने याग्य ह। धारा–23 के अन्तगर्त दीर्घ दण्ड कवल नियुक्ति पाधिकारी दे सकते ह सब–इंस्पक्टर के नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक नहीं ह। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कवल अपने अधीनस्थ सब–इस्पक्टर को लघु दण्ड दे सकते हैं जबकि याची आदश की दिनांक से नौ माह से अधिक समय तथा प्रारभिक जांच आख्या की तिथि से भी पूर्व से विपक्षी सं0–03 के अधोनस्थ न हाकर श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जी0आर0पी0 हरिद्वार के अधीनस्थ थी। इसलिये भी वह याची के अगस्त 2022 में स्थानान्तरण पर रवानगी के बाद याची को दण्डित नहीं कर सकते है।

3. प्रतिवादी संख्या–1, 2 एवं 3 की ओर से श्री किशोर कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा लिखित विवेचन–पत्र दाखिल किया गया, जो इस प्रकार हैः–

3.1. याची द्वारा थाना सल्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 9/2021

धारा–279 / 337 / 304ए भा0द0वि0 की विवेचना में लापरवाही बरती गई है। प्रकरण में नियमानुसार प्रारम्भिक जॉच कराने के उपरान्त याची को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप याची को परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया है।

3.2. याची के द्वारा ज्ञात नियम/प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये आदि, जबकि वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा विवेचना के दौरान घटना की सूचना पर मौके पर गये पुलिस बल जो घटना के द्वितीयक साक्ष्य थे जिनके द्वारा घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचकर घटना से सम्बन्धित प्राथमिक साक्ष्यों का संकलन किया गया था, के बयान अंकित न करके अन्य गवाहों से पूछताछ की गई तथा विवेचना के दौरान वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देकर मृतक वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह के स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाया गया। याची द्वारा उक्त अभियोग की विवेचना में घोर लापरवाही बरतने के कारण नियमानुसार परिनिन्दा लेख के दण्ड से दण्डित किया गया है।

3.3. इस प्रकरण की जॉच आख्या से पूर्व अगस्त 2022 में उसका स्थानान्तरण पुलिस अधीक्षक जी0आर0पी0 हरिद्वार के अधीन हो गया था तथा वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा के अधीन नहीं रही तथा जॉच आख्या के केवल 13 पृष्ठों की फोटो प्रति उसे उपलब्ध करायी गयी है,

जबकि वास्तविकता यह है कि प्रश्नगत प्रकरण में याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रचलित दण्डात्मक कार्यवाही के दौरान निर्गत कारण बताओं नोटिस संख्याः द–09/2023 दिनांक 11–01–2023 के साथ प्रकरण से सम्बन्धी प्रारम्भिक जॉच के दौरान लिये गये समस्त साक्ष्य एवं सम्बन्धित अधि0/कर्म0 के लिये बयानों का स्पष्ट विवरण अंकित है। प्रश्नगत नोटिस में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करना चाहें तो वह 15 दिवस के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करना है कि दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 के प्रस्तर–6 में जॉच का स्थान स्पष्ट किया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई जॉच या तो उस जिले में की जा सकती है जिसमें वह कार्य का लोप हुआ हो, जिसके सम्बन्ध में जॉच किया जाना प्रस्तावित है, या जहॉ पुलिस अधिकारी को जॉच के प्रारम्भ के समय तैनात किया जा सके।

3.4. प्रकरण में याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन करने के उपरान्त याची द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सम्पादित कर याची को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

3.5. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहना गलत है कि प्रस्तुत अपील को अवैध रूप से निरस्त कर दिया गया है, जबकि प्रारम्भिक जॉच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सम्पादित कर परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा दण्ड एवं अपील पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन/अध्ययन करने के उपरान्त याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई बल न होने तथा अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की गयी है।

3.6. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.10 एवं 10 से 10.8 में किये गये कथन मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा यह तथ्य मात्र अपने बचाव में किये गये है। याचिकाकर्ता द्वारा अभियोग की विवेचना में घोर लापरवाही बरतते हुए घटना की सूचना मौके पर गये पुलिस बल जो घटना के द्वितीयक साक्ष्य थे जिनके द्वारा घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचकर घटना से सम्बन्धित प्राथमिक साक्ष्यों का संकलन किया गया था, उनके बयान अंकित न करके अन्य गवाहों से पूछताछ की गई तथा विवेचना के दौरान वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देकर मृतक वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह के स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन में वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अभियोगी को विवेचना में घोर लापरवाही बरतने

के कारण प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच एवं नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सम्पादित करते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया।

3.7. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.11 एवं 11 से 11.16 में किये गये कथन मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा मात्र अपने बचाव में अंकित किये गये हैं। याचिकाकर्ता द्वारा विवेचना को सही दिशा न देकर जानबूझकर भटकाने एवं वाहन स्वामी को लाभ पहुॅचाने उद्‌देश्य से वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह के स्थान पर वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाया गया, जबकि वाहन दुर्घटना में मृतक चालक सुरेन्द्र सिंह के पंचायतनामा की कार्यवाही भी दिनांक 10–06–2021 को याचिकाकर्ता द्वारा ही की गयी है, जिसका अंकन सामान्य दैनिकी विवरण में अंकित है। प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच के दौरान होमगार्ड 1891 पूरन सिंह, 2–होमगार्ड 1968 गिरीश नाथ, 3–उपनल चालक नरेन्द्र सिंह भाकुनी, 4–का0 391 ना0पु0 नवीन गिरी, 5–का0 395 ना0पु0 सूरज सिंह, 6–होगमार्ड 1962 मनोज शर्मा, 7–होमगार्ड 1961 हेम उपाध्याय, 8–का0 173 ना0पु0 नेत्र सिंह ने अपने बयानों में वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह ही होना तथा उसकी उपचार के दौरान मृत्यु होना अंकित कराया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचे पुलिस बल के द्वितीयक साक्षीगण के विवेचना के दौरान बयान अंकित न कर जनता के व्यक्तियों के बयान अंकित कर वाहन स्वामी को लाभ पहुॅचाने के उद्‌देश्य से वाहन

चालक सुरेन्द्र सिंह के स्थान पर वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाया गया। अभियोग की विवेचना में घोर लापरवाही बरतने के कारण नियमानुसार जॉच/विभागीय कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

3.8. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.18 में किये गये कथन कि उनको दण्ड उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14 (2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्रवाई की प्रकिया के अन्तर्गत दिया गया है, जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य मे उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 86 (1) से निरसित कर दिया गया है। यह कथन अपीलार्थी द्वारा मात्र अपने बचाव में अंकित किया गया है, जो मान्य नहीं है। जबकि उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा 86 (1) के अनुसार मात्र (अधिनियम संख्या–05 वर्ष 1861 को निरसित किया गया है। याचिकाकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सम्पादित की गयी है।

3.9. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.23 में किये गये कथन याचिकाकर्ता द्वारा मात्र अपने बचाव में अंकित किया गया है। मा0 उच्च

न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा का0 65 अनोखे लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित निर्णय याचिकाकर्ता के प्रकरण में लागू नहीं होता है।

3.10. यह कि याचिका के प्रस्तर संख्या–4.31 एवं 4.32 में किये गये कथन मान्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच से स्पष्ट है कि दिनांक 10–06–2021 को थाना सल्ट में प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार पन्त, उ0नि0 गिरीश पन्त मय कर्मचारीगण के घटनास्थल पर गये थे और घटनास्थल स वाहन में मौजूद घायल शुदा पॉच व्यक्तियों को मौके से रेस्क्यू कर थाने के सरकारी वाहन एवं 108 एम्बूलैंस की मदद से सी0एच0सी0 देवायल सल्ट ले जाया गया, दुर्घटना में घायल बच्ची दीक्षा को मृत घोषित किया गया तथा चालक सुरेन्द्र सिंह की भी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। तीन अन्य घायलों को हायर सेन्टर रेफर किया गया। मौके पर घटना के सम्बन्ध में उपलब्ध साक्षियों से पूछताछ के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पन्त एवं उ0नि0 गिरीश चन्द्र पन्त द्वारा थाने पर अपनी वापसी के दौरान उपरोक्त घटना में दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या–यूके–04–टीए–9133 में चालक सुरेन्द्र सिंह का होना जी0डी0 नं0–33 समय–20:30 बजे दिनांकः 10–06–2021 में अंकित किया गया एवं चालक सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु होने सम्बन्धी सूचना डीसीआर के माध्यम से उच्चाधिकारियों को दी गयी।

मृतक चालक सुरेन्द्र सिंह का पंचायतनामा थानाध्यक्ष की मौजूदगी में याचिकाकर्ता म0उ0नि0 तरन्नुम सईद द्वारा मुर्तिव किया गया। अभियोग के वादी तारा चन्द्र की सूचना पर दिनांकः 11–6–2021 को समय–18:30 बजे बनाम अज्ञात के विरूद्ध थाना सल्ट पर पंजीकृत होकर विवेचना याचिकाकर्ता म0उ0नि0 तरन्नुम सईद के सुपुर्द हुई। याचिकाकर्ता म0उ0नि0 द्वारा अभियोग की विवचेना ग्रहण कर विवेचना में घटना की सूचना के उपरान्त मौके पर गये पुलिस बल जो घटना के द्वितीयक साक्ष्य थे, जिनके द्वारा घटनास्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचकर घटना से सम्बन्धित प्राथमिक साक्ष्य का संकलन किया गया था, के बयान अंकित न कर अन्य गवाहों से पूछताछ की गयी तथा सम्बन्धित वाहन के स्वामी को धारा 133 एम0वी0 एक्ट का नोटिस दिया गया, जिसमें वाहन स्वामी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन में चालक वीरेन्द्र सिंह को होना बताया गया। अभियोग की विवेचना विवेचक उ0नि0 सुशील कुमार एवं उ0नि0 गोविन्द सिंह मेहता द्वारा किये जाने पर घटना के दौरान वाहन चालक मृतक सुरेन्द्र सिंह का ही होना पाया गया। चूॅकि याचिकाकर्ता म0उ0नि0 तरन्नुम सईद द्वारा मृतक सुरेन्द्र सिंह का पंचायतनामा मुर्तिव किया गया था, जिन्हें भी उक्त मृतक के चालक होने की जानकारी अवश्यक होगी। उक्त अभियोग की विवचेना से इस बात की भी पुष्टि हुई कि मृतक वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह के पास टैक्सी चलाने का वैध लाईसैंस नहीं था एवं

यह भी प्रकाश में आया कि वीरेन्द्र सिंह वाहन स्वामी का रिश्तेदार भी है। मृतक चालक सुरेन्द्र सिंह भी विवेचना से प्रकाश में लाये गये वाहन चालक/अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह का रिश्तेदार है। घटना के चक्षु साक्षियों द्वारा वाहन में 05 व्यक्तियों का होना बताया गया है। वाहन में सवार महिला श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि श्री ललित प्रसाद द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विवेचना के दौरान किसी याचिकाकर्ता/महिला दरोगा द्वारा उनके बयान नहीं लिए गये। इस प्रकार अभियोग की विवेचना के दौरान याचिकाकर्ता/म0उ0नि0 तरन्नुम सईद द्वारा विवेचना को सही दिशा न देकर जानबूझकर भटकाने एवं वाहन स्वामी को लाभ पहुॅचाने के उद्‌देश्य से विवेचना कर वाहन चालक वीरेन्द्र सिंह को प्रकाश में लाया जाना पाया गया, जिस कारण प्रकरण की प्रारम्भिक जॉच से पूर्णतः दोषी पाये जाने पर नियमानुसार याचिकाकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उपरान्त परिनिन्दा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया गया है।

3.11. याचिका का प्रस्तर नं0 08 के उप–प्रस्तर 8 (क), 8 (ख), 8 (ग) एवं 8 (घ) में की गयी प्रार्थना अस्वीकार है, याची मा0 अधिकरण से कोई अनुतोष पाने का अधिकारी न होने के कारण याची की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

4. याची की ओर से प्रतिउत्तर शपथ–पत्र दाखिल किया गया जिसमें उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये

कथनों का प्रतिकार इस प्रकार हैः–

4.1. विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत विवेचन–पत्र/प्रतिवाद पत्र (Counter Affidavit) के पैरा 8 के कथन गलत हैं शपथकर्ता को अस्वीकार हैं। शपथकर्ता ने विवेचना में कोई लापरवाही नहीं बरती है। विधिक दृष्टि से केवल निर्णय लेने में गलती या ड्यूटी निभाने में लापरवाही भी कार्यवाही योग्य तथा कदाचार (misconduct) नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने Union of India Vs. J.Ahmed (AIR 1979 SC 1022) सहित विभिन्न निर्णयों में इस विधिक सिद्धांत की पुष्टि की है।

4.2. विपक्षीगण की आर से प्रस्तुत विवेचन/प्रतिवाद पत्र (Counter Affidavit) के पैरा 9 के कथन गलत हैं व शपथकर्ता को अस्वीकार हैं। वर्ष 2021 में जब याची म0उ0नि0 थाना सल्ट में नियुक्त थी थाना सल्ट में दिनाकं 11–06–2021 को वादी की तहरीर पर पंजोकृत एफआईआर न0–09/2021 धारा 279/337/338/304ए आईपीसी बनाम अज्ञात की विवचना हस्व आदश पभारी थानाध्यक्ष महोदय के अपीलार्थी उ0नि0 के सुपुर्द की गयी, विवचेना गहण कर वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम का नोटिस तामील कराया गया जिसके जवाब में वाहन स्वामी द्वारा बताया गया कि घटना के दिन मेरा वाहन संख्या यक 01टीए 9133 को चालक वीरन्ेद्र सिंह पत्र भगत सिहं निवासी ग्राम

रणथमल पास्ट देवीखाल, थाना सल्ट चला रहा था तथा वाहन स्वामी द्वारा अपने बयानों में भी वाहन को वीरेन्द्र द्वारा चलाना बताया गया, जिस कारण अपीलार्थी उ0नि0 द्वारा विवचना में वाहन स्वामी द्वारा 133 के नाटस के जवाब व अपने बयानों में बताये गये अभियुक्त वीरेन्द्र सिहं को प्रकाश में लाया गया। मुकदमा उपराक्त में बयान गवाहान बयान वादी बयान चोटिल द्वारा भी अपने बयानों में वाहन चालक वीरेन्द्र सिहं द्वारा घटना के समय वाहन चलाना बताया गया है। इसमें धारा 338 का अपराध भी हाना पकाश में आने पर अभियाग में धारा 338 की वृद्धि की गयी। इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा घटना के दिन की जीडी का अवलाकन किया गया तो बचाव कार्य करने गये थानाध्यक्ष महादय द्वारा अपनी आमद में दर्ज किया गया कि माके पर पूछताछ की गयी तो वाहन में 05 लाग सवार थे व मृतक सुरेन्द्र सिंह वाहन चला रहा था जिस सम्बन्ध में याची उ0नि0 द्वारा मौके पर गये थानाध्यक्ष उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार पंत के भी बयान अंकित किये गय जिसमें थानाध्यक्ष महादय द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि घटनास्थल पर माजूद लागों द्वारा बताया गया था कि मृतक सुरन्द्र सिंह गाड़ी को चला रहा था। उक्त विवचना में विराधाभासी तथ्य पकाश में आने लगे जिसके अनुकम में वाहन स्वामी तथा वाहन दुर्घटना में घायल चश्मदीद व्यक्तियों द्वारा बताये अभियुक्त वीरेन्द्र सिहं की घटना के दिन की सीडीआर लाकशन पाप्त करने हतु

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महादय का पार्थना–पत्र पषित किया गया था, जो याची विवचक को दौराने विवचना उपलब्ध नहीं हो पायी थी एवं प्रकरण की गहन विवचना हतु मौके पर माजद लोगों द्वारा बनायी गयी वोडियो प्राप्त कर वोडियो में दिखाई पड़ रहे व्यक्तियों के बयान लना शेष था। लकिन इसी मध्य दिनाक 04 सितम्बर, 2021 को तत्कालीन थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार पंत को श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक रानीखत के आदश से हस्तातंरित कर दी गयी।

वाहन स्वामी से जानकारी प्राप्त करने का धारा 133 माटर वाहन अधिनियम में निम्न प्रावधान हैः–

"133. Duty of owner of motor vehicle to give information.

The owner of a motor vehicle, the driver or conductor of which is accused of any offence under this Act shall, on the demand of any police officer authorised in this behalf by the State Government, give all information regarding the name and address of, and the licence held by, the driver or conductor which is in his possession or could by reasonable diligence be ascertained by him."

5. अधिकरण द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं याचिका में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का गहन अवलोकन किया गया।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि याची को दी गयी निन्दा प्रविष्टि न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि दण्डाधिकारी के न्यायाधिकार से परे भी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकरण का ध्यान निम्नांकित तथ्यों की ओर आकृष्ट किया गया :–

क. जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 21.12.2022 के 90% भाग में केवल गवाहों के बयान ही दर्ज किय गये हैं, विश्लेषण एवं निष्कर्ष अत्यन्त संक्षिप्त अंकित किया गया है जो कि इस जॉच आख्या को एक अपूर्ण जॉच की श्रेणी में स्थापित करता है।

ख. याची के विरूद्ध जो आरोप उत्तरदाता विभाग द्वारा लगाये गये हैं वे सिर्फ उत्तरदाता पक्ष की परिकल्पनाओं एवं सन्देह पर आधारित है। उक्त सन्देह एवं आरोप का कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं है।

ग. प्रश्नगत् वाहन दुर्घटना दिनांक **10.06.2021** में विवेचनाधिकारी के रूप में याची ने घटनास्थल पर जो प्रारम्भिक पूछताछ की थी उसमें स्वयं वाहन स्वामी द्वारा यह बताया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को चालक वोरेन्द्र सिंह चला रहा था जो कि दुर्घटना के दौरान वाहन से बाहर गिर गया था एवं दुर्घटनास्थल से फरार हो गया था। विवेचनाधिकारी को बाद में ज्ञात हुआ कि सम्भवतः वाहन चालक वोरेन्द्र सिंह न होकर सुरेन्द्र सिंह था जिसकी उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। विवेचनाधिकारी द्वारा इस नई जानकारी की पुष्टि करने के लिये दोनों वाहन चालकों कमशः वोरेन्द्र सिंह एवं मृतक सुरेन्द्र सिंह की दुर्घटना के समय जी0पी0एस0 लोकेशन मालूम करने के लिये प्रयास प्रारम्भ ही किया गया था जब प्रश्नगत विवेचना याची स हटा दी गयी।

घ. याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उत्तरदाता पक्ष के प्रत्युत्तर/अभिलेखीय कथन के संलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची से विवेचना हटाकर अन्य विवेचनाधिकारी तैनात किये जाने के बाद भी अत्यन्त विलम्ब से दिनांक **24.11.2021** की दैनिकी (जी0डी0) सं0– **020** द्वारा

निर्धारित हो सका कि दुर्घटना ग्रस्त वाहन का चालक सम्भवतः वोरेन्द्र सिंह नहीं था, एवं दिनांक **24.02.2022** की जी0डी0 सं0–029 से यह निर्धारित हो सका कि दुर्घटना ग्रस्त वाहन का वास्तविक चालक सुरेन्द्र सिंह था, जो कि दुर्घटना में मृत हो गया था। यह तथ्य संज्ञान लिये जाने योग्य है कि दिनांक **10.06.2021** को दुर्घटना कारित होने से लगभग **07** माह के उपरान्त नवीन विवेचनाधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जा सका। ऐसी स्थिति में याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी के विरूद्ध यह आरोप लगाया जाना कि याची द्वारा उक्त विवेचना में दुरभिसंधिपूर्ण तरीके से वाहन स्वामी को बीमा इन्श्योरेन्स को लाभ दिलाने के लिये प्रश्नगत विवेचना में विलम्ब किया गया था।

ड. याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी को अधिक से अधिक "Error of Judgment" से प्रभावित तो कहा जा सकता है, किन्तु याची को पूर्वाग्रह ग्रस्त कहा जाना उचित नहीं है। प्रायः समस्त पुलिस विवेचनाओं में इस प्रकार की परिस्थितियाँ विवेचनाधिकारियों के समक्ष उत्पन्न होती है।

च. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को भी विशेष रूप से इंगित किया गया कि याची को दण्ड देने का अधिकार उत्तरदाता संख्या–03 को नहीं रह गया था क्योंकि माह अगस्त 2021 में याची का स्थानान्तरण जनपद अल्मोड़ा से जी0आर0पी0 थाना जनपद–हरिद्वार को हो चुका था। अतः उत्तरदाता संख्या–03 द्वारा याची को दी गयी निन्दा प्रविष्टि विधिक रूप से पठनीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस अधिनियम की धारा –23 (2) का सन्दर्भ देते हुये "अधीनस्थ अधिकारी" शब्द का अर्थ भी स्पष्ट किया।

छ. यह भी अत्यन्त आपत्तिजनक तथ्य है कि याची को अपना स्पष्टीकरण तैयार करने के लिये उत्तरदाता विभाग द्वारा पूरी जांच आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, बल्कि मात्र 04 पृष्ठ ही उपलब्ध कराये गये जिनके आधार पर याची से यह अपेक्षा की गयी कि वह अपना स्पष्टीकरण प्रश्नगत आरोपों के विषय में प्रस्तुत करें। ऐसा जानबूझकर याची को प्रताडित करने के लिये किया गया।

7. विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि दुर्घटना गस्त का वाहन मालिक सुरेन्द्र सिंह ही था यह

तथ्य दुर्घटनाग्रस्त वाहन के यात्रियों से की गयी पूछताछ द्वारा याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी को प्रारम्भ से ही ज्ञात था। इसकी पुष्टि जॉच आख्या दिनांक 21.12.2022 में दर्ज बयानों से होती है। अतः जॉच आख्या के माध्यम से उत्तरदाता विभाग को यह तथ्य पूर्णतया स्पष्ट था कि याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के वाहन स्वामी को बीमा इन्श्योरेन्स का अवैध लाभ पहुॅचाने के लिये भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर विवेचना को विलम्बित किया गया। विद्वान सहायक प्रस्तुकर्ता अधिकारी द्वारा बल देते हुये यह कहा गया कि याची/सहायक विवेचनाधिकारी के विरूद्ध की गयी विभागीय कार्यवाही पूर्णतया नियमानुकूल थी एवं उन्हें दी गयी निन्दा प्रविष्टि भी नियमानुकूल है। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय साक्ष्यों एवं बयानात का संज्ञान लिये जाने पर प्रश्नगत याचिका में निम्नांकित तथ्य विचारणीय हैः—

क. याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी के विरूद्ध कोई भी ठोस अभिलेखीय साक्ष्य/बयान ऐसा नहीं है जिसके आधार पर याची को "मिलीभगत" का दोषी कहा जा सक। स्वाभाविक रूप से

उत्तरदाता विभाग द्वारा अपुष्ट सूचनाओं एवं सन्देह के आधार पर याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी को दोषी मानते हुये उससे विवेचना स्थानान्तरित कर अन्य विवेचनाधिकारी को दे दी गयी।

ख. पुलिस उपाधाक्षक, रानीखेत/जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच आख्या दिनांक 21.12.2022 में मात्र 03 स्वतन्त्र साक्षियों के बयान लिये गये हैं, जो कि निम्नॉकित है:—

1. टेलीफोनिक बयान श्रीमती पुष्पा देवी, उम्र 27 वर्ष, पत्नि श्री ललित प्रसाद, निवासी ग्राम मवल गॉव, तहसील सल्ट जनपद अल्मोड़ा।
2. बयान श्री ललित प्रसाद, उम्र 33 वर्ष, पुत्र श्री भूपाल राम, निवासी ग्राम मवल गॉव, पोस्ट देवीखाल, तहसील सल्ट, जनपद—अल्मोड़ा।
3. बयान श्री शमशेर सिंह रावत, पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम मवल गॉव,

पोस्ट देवीखाल, तहसील सल्ट, जनपद–अल्मोडा।

उपरोक्त 03 स्वतन्त्र गवाहों में से श्रीमती पुष्पा देवी एवं श्री ललित प्रसाद दुर्घटना ग्रस्त वाहन के यात्री थे, जबकि शमशेर सिंह वाहन स्वामी था। श्रीमती पुष्पा देवी एवं श्री ललित प्रसाद, जिनकी बड़ी पुत्री दीक्षा की मृत्यु प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में हुयी, वह स्वयं इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि वाहन स्वामी शमशेर सिंह रावत के कहने पर ही उन्होंने ने तत्कालीन विवेचनाधिकारी को वाहन चालक का नाम विरेन्द्र सिंह बताया था, जबकि उन्हें यह भली–भॉति ज्ञात था कि वास्तव में वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह ही था जिसकी प्रश्नगत दुर्घटना में मृत्य हो गया थी। जहॉ तक वाहन स्वामी शमशेर सिंह रावत का प्रश्न है उसने अपने बयान में पुलिस उपाधीक्षक, रानीखेत/जॉच अधिकारी के समक्ष भी यही कहा कि वाहन चालक वोरेन्द्र सिंह ही था।

9. यहॉ पर यह अत्यन्त सावधानीपूर्वक ध्यान दिये जाने योग्य तथ्य है कि उपरोक्त समस्त बयानकर्ता एक ही गॉव के निवासी है, एवं एक–दूसरे से सम्बन्धित भी है। यहॉ तक कि मृतक वाहन चालक सुरेन्द्र सिंह, कथित वाहन चालक वोरेन्द्र सिंह एवं वाहन स्वामी शमशेर सिंह रावत भी परस्पर निकट सम्बन्धी है। यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना के उपरान्त दुर्घटनाग्रस्त परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं

रही होगी कि वह याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी को सही तथ्यों से अवगत करा पाते ऐसी स्थिति में याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी की प्रारम्भिक जॉच का प्रभावित होना अत्यधिक सम्भव था।

10. पुलिस उपाधीक्षक, रानीखेत/जॉच अधिकरी की प्रश्नगत जॉच आख्या में उपरोक्त स्वतन्त्र बयानकर्ताओं के अतिरिक्त याची को छोड़कर अन्य सभी बयानकर्ता पुलिस कर्मी है, जो कि स्वाभाविक रूप से एक जैसा ही बयान अंकित करवाते हैं, यह एक स्वाभाविक तथ्य है।

11. याची के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों से होती है कि विवेचनाधिकारी परिवर्तित कर दिये जाने के बाद भी इस तथ्य की पुष्टि होने में लगभग 07 माह का समय लग गया कि वास्तव में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक वीरेन्द्र सिंह न होकर मृतक सुरेन्द्र सिंह था। ऐसी स्थिति में यह परिकल्पित कर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है कि याची/तत्कालीन विवेचनाधिकारी द्वारा दुरभिसंधिपूर्ण तरीके से वाहन स्वामी को बीमा इन्श्योरेन्श का लाभ पहुॅचान के उद्देश्य से विवेचना में विलम्ब किया गया था। ऐसी स्थिति में याची को सन्देह का लाभ स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होगा।

12. उपरोक्त मीमांसा के अतिरिक्त अन्य किसी गुण–दोष अथवा विधिक बिन्दु पर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता इस अधिकरण को

प्रतीत नहीं होती है। प्रश्नगत प्रकरण में दी गयी निन्दा प्रविष्टि स्पष्ट रूप से अतिशीघता में एवं मिलीभगत के सन्देह/परिकल्पना मात्र के अन्तर्गत दी गयी प्रतीत होती है जो कि विधिक दृष्टिकोण से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

13. उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर सन्दर्भित/आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 06.05.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील पाधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 05.04.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं तदनुसार विधि विरूद्ध तथा शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार, याची की याचिका स्वीकार किया जाकर आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 06.05.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक–1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 05.04.2024 (निर्देश याचिका का संलग्नक–2) अपास्त (quash) किये जाते हैं। याची को दिये गये आलोच्य दण्ड को याची की चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से, इस निर्णय की प्रमाणित प्रति उत्तरदाता संख्या–03 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 30 दिवस के भीतर विलुप्त किया जायें एवं समस्त परिणामिक

सेवालाभ अवमुक्त करते हुये तदुपरान्त अनुमन्य अन्य सेवालाभ भी प्रदान किये जायें। पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

(कैप्टन आलोक शेखर तिवारी)
सदस्य (प्रशासनिक)

दिनांक : 29 सितम्बर, 2025
नैनीताल।

बी0के0